13 / 12 / 2017

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित ।

आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार की ओर से डकैती प्रकरण कमांक—199/2015 पुलिस मो वि० जैकी उर्फ जयकुमार में घोषित निर्णय अनुसार के अनुसार धारा 411 सहपठित धारा—11, 13 डकैती अधिनियम में तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड को जमा किया गया।

जो इस न्यायालय के अर्थदण्ड **बुक** नंबर–6906 एवं रसीद नंबर–11 पर विधिवत जमा की गयी ।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

भिहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद